<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर</u>

अपील/एलआर/56/2022/जिला भीलवाड़ा

<u>सम्पतराज बनाम कान्तादेवी व अन्य</u>

दिनांकः–14.06.2022

<u>आदेश</u>

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 नम्बर 1 कान्तादेवी द्वारा खुद की खातेदारी के खसरा नम्बर 2041/44 हेतु उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2014 को लगाया गया था और उसी दिन पत्थरगढ़ी का आदेश भी कर दिया गया था। दिनांक 06.10.2021 को तहसीलदार हुरड़ा द्वारा पत्थरगढ़ी की पालना हेतु पत्र जारी कर दिनांक 28.10.2021 को कागजी कार्यवाही की गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2014 की कार्यवाही के दौरान वर्तमान अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट को सुने बिना मौका पर्चा दिनांक 28.10.2021 बनाया गया। अपीलांट खसरा नम्बर 44/2 का खातेदार कृषक है। नामातंरण संख्या 2309 दिनांक 10.11.2014 को सर्म्पण के द्वारा नगरपालिका गुलाबपुरा के नाम दर्ज हुई थी। जिसके द्वारा लेआउट अनुमोदित किया गया था एवं राशि जमा होने के बाद नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी किया गया। जो अपीलांट के द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय पत्र के माध्यम से जारी किया गया। मौके पर खसरा नम्बर 44/2 की भूमि में आवासीय योजना निर्मित हो रखी है। भूमि आबादी होकर गैर कृषि भूमि है। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 28.10.2021 में उक्त भूमि रेस्पो0 1 की होना बताया है। जबकि उक्त भूमि अपीलांट की है। अपीलाधीन आदेश रेस्पो0 1 के मौखिक कथन के आधार पर पारित किया गया है। जबकि अपीलांट व्यथित पक्षकार है। बिना उसे सुने पारित आदेश निरस्त योग्य है। एल0आर0एक्ट की धारा 111,128 के प्रावधान के अनुसार समीपवर्ती खातेदार को सुनवाई कर आदेश दिया जाना चाहिए था। परंतु रेस्पो0 1 व अपीलांट की भूमि आपस में चिपकी हुई होने पर भी बिना अपीलांट को सुने हुए निर्णय दिया गया। जो उक्त धाराओं में आज्ञापक प्रावधान का उल्लघंन है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जायें।

अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार मौका पर्चा दिनांक 28.10.2021 के बाद रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा दिनांक 12.05.2021 को धमकी दिये जाने से जानकारी प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की गई। जानकारी दिनांक से अपील तुरंत प्रस्तुत की गई है। देरी को क्षमा किया जायें। एक अन्य प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने या ना होने बिन्दु बाबत जांच की गई। चूंकि अपीलाधीन आदेश बिना अपीलांट को सुने पारित किया गया था। जानकारी दिनांक के तुरंत बाद उनके द्वारा दिनांक 08.06.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील को अंदर मियाद माना जायेगा। कोरोनाकाल के निर्देशानुसार अपील मियाद अवधि की गणना दिनांक 28.02.2022 के बाद [illegible] में भी अपील को अंदर मियाद माना जायेगा।

बहस के दौरान वकील अपी[illegible] अपील दि[illegible]6.12.2014 अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज करवायी गई थी और [illegible] अन्य पड़ौसी को [illegible]ना आदेश उसी दिन जारी किया गया। इसकी पालना में दिनांक 28.10.2021 को मौका पर्चा बनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:09 IST
Reason: SelfAttested

गया। अपीलांट के अनुसार इनका खसरा नम्बर 44/2 है। जो अपीलाधीन आदेश में दर्ज खसरा नम्बर 2041/44 से चिपका हुआ है। अपीलांट की भूमि 44/2 आवासीय रूपातंरित होकर उस पर पट्टे जारी किये जा चुके है। उक्त खसरा नम्बर 44/2 दिनांक 10.12.2014 को नगरपालिका गुलाबपुरा के पक्ष में सरेण्डर हो चुका है। जबकि रेस्पो0 1 द्वारा दिनांक 16.12.2014 को पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवायी। जो गलत है। उक्त आदेश निरस्त किया जायें।

पत्रावली के साथ संलग्न अपीलाधीन आदेश 135/2014 तहसीलदार हुरड़ा का आदेश दिनांक 06.10.2021 मौका पर्चा दिनांक 28.01.2021 जमाबंदी ग्राम हुरड़ा मगरा संवत 2067–70 खाता संख्या नया 71 प्रस्तुत किया।

जमाबंदी ग्राम हुरड़ा मगरा संवत 2067–70 खाता संख्या नया 71 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 44/2 पूर्व में कान्तादेवी पत्नि सत्यनारायण पोसनीवाल, दामोदर पिता फतेहलाल महाजन शाकिन्द गुलाबपुरा खातेदार के नाम दर्ज थी। नामातंरण संख्या 2041 दिनांक 29.08.2012 से दामोदर का हिस्सा वर्तमान अपीलांट द्वारा क्रय किया। नामातंरण संख्या 2301 दिनांक 17.10.2014 से बंटवारा स्वीकृत होकर खसरा नम्बर 44/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान अपीलांट को दर्ज हुई तथा नामातंरण संख्या 2309 दिनांक 10.11.2014 से सर्म्पण के माध्यम से खसरा नम्बर 44/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि नगरपालिका गुलाबपुरा के नाम दर्ज की। स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश के दिनांक को भूमि का बंटवारा हो चुका था। 44/2 खसरा नम्बर नगरपालिका के नाम दर्ज हो रखा था सर्म्पण की वजह से तथा रेस्पो0 1 का खसरा नम्बर 2041/44 था जो आपस में चिपके हुए थे। अपीलाधीन आदेश में रेस्पो0 1 के अन्य पड़ौसी काश्तकारों को नहीं बुलाया गया तथा एक ही दिन में आदेश जारी कर दिया गया। भूमि वास्तव में अपीलांट की है। जो उसके द्वारा 98 की कार्यवाही से नगरपालिका के नाम दर्ज की गई थी। जिसने आवश्यक कार्यवाही कर पट्टे जारी किये थे और बाद में अनेक पट्टे विक्रय के आधार पर जारी किये गये। मौके पर आवासीय योजना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना नहीं की जा सकती है। चूंकि अब वहां पर अन्य लोगों के नाम भूमियां है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है। अपीलांट व्यथित पक्षकार था जिसे सुना जाना चाहिए था। साथ ही मौका पर्चा दिनांक 28.10.2021 सही तरीके से तैयार नहीं किया गया है। अतः न्यायालय स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद यह उचित समझता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2014 की क्रियान्विती को अगले आदेश तक स्थगित रखा जायें। पत्रावली आइन्दा दिनांक..................को प्रस्तुत हो।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:09 IST
Reason: SelfAttested

<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 56/2022 जिला भीलवाड़ा

सम्पतराज पुत्र चांदमल चपलोत, निवासी गुलाबपुरा, हाल माठू आशीष अपार्टमेन्ट, सी0एस0रोड़, दहिसर, ईस्ट मुम्बई।

—अपीलांट

बनाम्

1. श्रीमती कान्तादेवी पत्नि सत्यनारायण तोषनीवाल, निवासी पुराना बाजार, गुलाबपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रतनलाल पुत्र लादू जाट निवासी हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।
3. गीतादेवी पत्नि लादू जाट निवासी हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती नानीदेवी पुत्री लादू जाट निवासी हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।
5. पन्ना पुत्र बलदेव जाट निवासी हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।
6. शिवराज पुत्र बलदेव जाट निवासी हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।
7. नगरपालिका गुलाबपुरा, जरिये अधिशाषी अधिकारी, गुलाबपुरा।

—रेस्पोडेंटस

8. श्रीमती अंजू पत्नि करतारसिंह राठौड़ गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा दिनांक 16.12.2014 जो अपील संख्या 135/2016 बउनवानी श्रीमती कान्तादेवी बनाम सम्पतराज पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री राकेश आरोड़ा(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः— श्री पुष्पेन्द्र चौधरी
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

<u>निर्णय</u> दिनांकः—13.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 नम्बर 1 कान्तादेवी द्वारा खुद की खातेदारी के खसरा नम्बर 2041/44 हेतु उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2014 को लगाया गया था और उसी दिन पत्थरगढ़ी का आदेश भी कर दिया गया था। दिनांक 06.10.2021 को तहसीलदार हुरड़ा द्वारा पत्थरगढ़ी की पालना हेतु पत्र जारी कर दिनांक 28.10.2021 को कागजी कार्यवाही की गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2014 की कार्यवाही के दौरान वर्तमान अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट को सुने [illegible] पर्चा दिनांक 28.10.2021 बनाया गया। अपीलांट खसरा नम्बर 44/2 का खातेदार कृषक है। नामांतरण संख्या 2309 दिनांक 10.11.2014 को सर्म्पण के द्वारा नगरपालिका गुलाबपुरा के नाम दर्ज हुई थी। जिसके द्वारा लेआउट अनुमोदित किया गया था एवं राशि जमा होने के बाद नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी किया गया। जो अपीलांट के द्वारा अन्य व्यक्तियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:09 IST
Reason: SelfAttested

को विक्रय पत्र के माध्यम से जारी किया गया। मौके पर खसरा नम्बर 44/2 की भूमि में आवासीय योजना निर्मित हो रखी है। भूमि आबादी होकर गैर कृषि भूमि है। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 28.10.2021 में उक्त भूमि वर्तमान रेस्पो0 1 की होना बताया है। जबकि उक्त भूमि अपीलांट की है। अपीलाधीन आदेश रेस्पो0 1 के मौखिक कथन के आधार पर पारित किया गया है। जबकि अपीलांट व्यथित पक्षकार है। बिना उसे सुने पारित आदेश निरस्त योग्य है। एल0आर0एक्ट की धारा 111,128 के प्रावधान के अनुसार समीपवर्ती खातेदार को सुनवाई कर आदेश दिया जाना चाहिए था। परंतु रेस्पो0 1 व अपीलांट की भूमि आपस में चिपकी हुई होने पर भी बिना अपीलांट को सुने हुए निर्णय दिया गया। जो उक्त धाराओं में आज्ञापक प्रावधान का उल्लघंन है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जायें। अपील के निम्नलिखित आधार अपीलांट द्वारा बताये गये है–

1. विवादित भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में माना जाना और उसकी खातेदारी मे होना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात को मानना प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

2. खसरा नम्बर 2041/44 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे है मगर खसरा संख्या 45 अप्रार्थी संख्या 8 एवं खसरा संख्या 44/2 अपीलांट के नाम है। जो कि बाद में नगरपालिका गुलाबपुरा के नाम समर्पित कर दी गई है। जहां नगरपालिका द्वारा लेआउट प्लान अनुमोदित किया जाकर राशि जमा होने पर आवासीय पट्टा रेस्पोडेंट संख्या 7 के द्वारा अपीलांट के पक्ष में जारी कर आवंटन पत्र व कब्जापत्र सौंपा गया।

3. आवश्यक पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय प्रदान किया गया जो गलत है। अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2014 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार मौका पर्चा दिनांक 28.10.2021 के बाद रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा दिनांक 12.05.2021 को धमकी दिये जाने से जानकारी प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की गई। जानकारी दिनांक से अपील तुरंत प्रस्तुत की गई है। देरी को क्षमा किया जायें। एक अन्य प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने या ना होने बिन्दु बाबत जांच की गई। चूंकि अपीलाधीन आदेश बिना अपीलांट को सुने पारित किया गया था। जानकारी दिनांक के तुरंत बाद उनके द्वारा दिनांक 08.06.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील को अंदर मियाद माना जायेगा। कोरोनाकाल के निर्देशानुसार अपील मियाद अवधि की गणना दिनांक 28.02.2022 के बाद की जानी है। उस संदर्भ में भी अपील को अंदर मियाद माना जायेगा।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र [illegible] अपीलाधीन आदेश की आड़ में प्रार्थी की आराजी को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। अपीलाधीन आदेश की पालना को रोका जाये। अन्यथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ उनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। इस पर एकपक्षीय सुनवाई के बाद दिनांक 15.06.2022 को अपीलांट के पक्ष में अंतरिम स्थगन प्रार्थना को स्वीकार किया गया। अपीलांट को व्यथित पक्षकार माना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन पत्र रेस्पोडेंट 1 द्वारा दिनांक 16.12.2014 अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज करवाया गया था और किसी अन्य पड़ौसी को सुने बिना आदेश उसी दिन जारी किया गया। इसकी पालना में दिनांक 28.10.2021 को मौका पर्चा बनाया गया। अपीलांट के अनुसार हमारा खसरा नम्बर 44/2 है। जो अपीलाधीन आदेश में दर्ज रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 2041/44 से चिपका हुआ है। अपीलांट की भूमि 44/2 आवासीय रूपातंरित होकर उस पर पट्टे जारी किये जा चुके है। उक्त खसरा नम्बर 44/2 दिनांक 10.12.2014 को नगरपालिका गुलाबपुरा के पक्ष में सरेण्डर हो चुका है। जबकि रेस्पो0 1 द्वारा दिनांक 16.12.2014 को पत्थरगढ़ी बाबत आदेश प्राप्त किया जो गलत है। उक्त आदेश निरस्त किया जायें। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की।

पत्रावली के साथ संलग्न अपीलाधीन आदेश 135/2014 तहसीलदार हुरड़ा का आदेश दिनांक 06.10.2021 मौका पर्चा दिनांक 28.01.2021 जमाबंदी ग्राम हुरड़ा मगरा संवत 2067—70 खाता संख्या नया 71 प्रस्तुत किया।

जमाबंदी ग्राम हुरड़ा मगरा संवत 2067—70 खाता संख्या नया 71 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 44/2 पूर्व में कान्तादेवी पत्नि सत्यनारायण पोसनीवाल, दामोदर पिता फतेहलाल महाजन शाकिन्द गुलाबपुरा खातेदार के नाम दर्ज था। नामातंरण संख्या 2041 दिनांक 29.08.2012 से दामोदर का हिस्सा वर्तमान अपीलांट द्वारा क्रय किया। नामातंरण संख्या 2301 दिनांक 17.10.2014 से बंटवारा स्वीकृत होकर खसरा नम्बर 44/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान अपीलांट के नाम दर्ज हुई तथा नामातंरण संख्या 2309 दिनांक 10.11.2014 से समर्पण के माध्यम से खसरा नम्बर 44/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि नगरपालिका गुलाबपुरा के नाम दर्ज की गई। स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश के दिनांक को भूमि का बंटवारा हो चुका था। 44/2 खसरा नम्बर नगरपालिका के नाम दर्ज हो रखा था समर्पण की वजह से तथा जो रेस्पो0 1 का खसरा नम्बर 2041/44 था जो आपस में चिपके हुए थे। अपीलाधीन आदेश में रेस्पो0 1 के अन्य पड़ौसी काश्तकारों को नहीं बुलाया गया तथा एक ही दिन में आदेश जारी कर दिया गया। भूमि वास्तव में अपीलांट की है। जो उसके द्वारा 90बी की कार्यवाही से नगरपालिका के नाम दर्ज की गई थी। जिसने आवश्यक कार्यवाही कर पट्टे जारी किये थे और बाद में अनेक पट्टे विक्रय के आधार पर जारी किये गये। मौके पर आवासीय योजना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना नहीं की जा सकती है। चूंकि अब वहां पर अन्य लोगों के नाम भूमियां है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है। अपीलांट व्यथित पक्षकार था जिसे सुना जाना चाहिए था। साथ ही मौका पर्चा दिनांक 28.10.2021 सही तरीके से तैयार नहीं किया गया है।

लिखित बहस में कान्तादेवी की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत की। जिसके अनुसार दिनांक 28.10.2021 को हल्का गिरदावर एवं पटवारी हल्का रूपहेली के द्वारा पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उपस्थित पड़ौसीयों व सम्मानीय व्यक्तियों के समक्ष मौका पर्चा बनाकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पूर्ण की गई है। प्रस्तुत अपील काबिज निरस्त योग्य है। मौका पर्चा दिनांक 28.10.2021 ग्राम हुरड़ा मगरा जो लिखित बहस के साथ प्रस्तुत किया गया है के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को खसरा नम्बर 2041/44 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि की नपती की जाकर पत्थरगढ़ी गई।

समग्र विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि खसरा नम्बर 42/2 तथा खसरा नम्बर 2041/44 ग्राम हुरड़ा के अलग अलग चिपके हुए खसरा नम्बर है। खसरा नम्बर 42/2 अपीलांट का है। जिस पर उनके द्वारा 90 बी की कार्यवाही करवायी जाकर भूमि नगरपालिका को समर्पित की गई है। जिसके द्वारा उचित कार्यवाही के बाद राशि जमा लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:09 IST
Reason: SelfAttested

पट्टे जारी किये गये और पट्टेदार द्वारा अन्य लोगो को भी विक्रय की गई है। पत्थरगढ़ी हेतु मुख्य रूप से कुछ खसरा नम्बर जिसकी पत्थरगढ़ी की जानी है से जुड़े हुए समस्त खसरा नम्बरों के खातेदारो को पक्षकार बनाकर, आवश्यक रूप से सुनकर निर्णय करना होता है। मगर अपीलाधीन प्रकरण संख्या 135/2014 कान्तादेवी बनाम सम्पतराज एवं अन्य में मात्र एक दिन में ही प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर निर्णय पारित कर दिया गया है। ना किसी को नोटिस जारी कर तलब किया गया है और ना ही किसी को सुना गया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की सख्त अवहेलना है। जमाबंदी 2067-70 के अनुसार ग्राम हुरड़ा के खाता संख्या 71 के अनुसार खसरा नम्बर 44/2` अपीलांट संख्या 1 सम्पतराज पिता चांदमल चपलोत के नाम पर दिनांक 17.10.2014 को नामातंरण संख्या 2301 दर्ज हुआ था। जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2014 का है। यानि अपीलाधीन आदेश जारी होने से पूर्व खसरा नम्बर 44/2 अपीलांट के नाम दर्ज है तथा नामातंरण संख्या 2309 निर्णय दिनांक 10.11.2014 को समर्पण की वजह से खसरा नम्बर 44/2 रकबा 1.10 नगरपालिका गुलाबपुरा के नाम दर्ज किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकारों के संयोजन किये बिना बहुत ही अधिक जल्दबाजी में पत्थरगढी का आदेश बिना प्रक्रिया का पालना किये हुए दिया गया है। जिसे किसी भी हालत में उचित नही ठहराया जा सकता है एवं खारिज योग्य है। अपील स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय गुलाबपुरा द्वारा दिनांक 16.12.2014 जो प्रकरण संख्या 135/2016 बउनवानी श्रीमती कान्तादेवी बनाम सम्पतराज में पारित किया गया था को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:09 IST
Reason: SelfAttested